

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....कावरा.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....कावरा.....  
 व भूअ.नि. ....कोडी..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार .....रेलमगाव...../नायब  
 तहसीलदार .....शिल्लुण्ड..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सावलिया खेडा तहसील .....रेलमगाव..... व  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् .....2017..... में खाता संख्या .....03..... में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>सावलिया खेडा</u>	<u>03</u>	<u>अंकुश पुज जगरूप कीर</u> <u>डिवाण पुज जगरूप कीर</u> <u>राहिन हिस्ता-नु (कर्जावा)</u>  <u>SBBJ कावरा</u> <u>राजपुरा करीबा</u>	<u>अंकुश पुज जगरूप कीर</u> <u>डिवाण पुज जगरूप कीर</u> <u>राहिन हिस्ता-नु (कर्जावा)</u>  <u>SBI शाही-राजपुरा</u> <u>करीबा</u>

**उपखण्ड अधिकारी**

स्लेक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

दिनांक :- 18/10/25

क्रमांक:- 444  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

**उपखण्ड अधिकारी**

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....